न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – डॉ दिनेश राय सापेला, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 37/2023
रजिस्ट्रेशन नं. :2023/45

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)	बनाम	अभियुक्त :– श्री कांतीलाल तेली पुत्र श्री शंकरलाल तेली निवासी गणेश चौक, तेलीवाडा, तलवाडा, बांसवाडा (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स प्रितेश कुमार कांतिलाल किराणा स्टोर, मैन रोड, तलवाडा, बांसवाडा जिला बांसवाडा

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 18–07–2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री शशिकांत शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक **15–06–2023** को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक **01–10–2022** को 03.00 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जॉच हेतु **मैसर्स प्रितेश कुमार कांतिलाल किराणा स्टोर, मैन रोड, तलवाडा, बांसवाडा जिला बांसवाडा** पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **श्री कांतीलाल तेली पुत्र श्री शंकरलाल तेली** उपस्थित थे। **विक्रेता एवं गवाहान् की उपस्थिति में मैसर्स प्रितेश कुमार कांतिलाल किराणा स्टोर, मैन रोड, तलवाडा, बांसवाडा जिला बांसवाडा** का निरीक्षण करने पर **आयोडिन युक्त नमक (निरमा) 4 कट्टे प्रत्येक कट्टे में एक किलोग्राम वजनी के 25 पैकेट दुकान** में आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। इसमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए **आयोडिन युक्त नमक (निरमा) 04 किलोग्राम** वास्ते नमूना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 60/– रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तत्पश्चात कर स्वयं ने हस्ताक्षर किये। नमूना जॉच हेतु खरीदशुदा **आयोडिन युक्त नमक (निरमा) 04 किलोग्राम** के 4 नमूना भाग तैयार किये। प्रत्येक भाग पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.01.08 16:48:34 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाडा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-1204** लिखा व नमूने का विवरण अंकित किया गया। प्रत्येक लेबल पर विक्रेता तथा गवाहान के भी हस्ताक्षर करवाये गये तैयार लेबल प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाया गया। प्रत्येक नमूने को नियमानुसार सील बन्द किया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/358 दिनांक 17–11–2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 816 दिनांक 10–10–2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **आयोडिन युक्त नमक (निरमा)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1204** Misbranded food under section 3(1)(zf) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा **आयोडिन युक्त नमक (निरमा)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 19–06–2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 18.07.2023 को अप्रार्थी की ओर से श्री महेन्द्र कुमार गाँधी, श्री वैभव गाँधी अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ। अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि नरमी का रुख अपनाते हुए कम से कम जुर्माना करे।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/358 दिनांक [illegible]2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 816 दिनांक 10–10–2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया आयोडिन युक्त नमक (निरमा) का नमुना कोड क्रमांक **W-1204** Misbranded food under section 3(1)(zf) of food safety and

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.01.08 16:48:34 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी
(जिला कलक्टर)
(राज.)

Scanned with OKEN Scanner

standerds act 2006 पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf) के तहत मिसब्राण्डेड **आयोडिन युक्त नमक (निरमा)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 व नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी **श्री कांतीलाल तेली पुत्र श्री शंकरलाल तेली निवासी गणेश चौक, तेलीवाडा, तलवाडा, बांसवाडा (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स प्रितेश कुमार कांतिलाल किराणा स्टोर, मैन रोड, तलवाडा, बांसवाडा जिला बांसवाडा रूपये 20000/– (अक्षरे रू बीस हजार मात्र) से दण्डित कर** खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2023 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.01.08 16:48:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner